माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी

निगरानी-4696/2018/विदिशा/भू.रा.

रघुवीर सिंह पुत्र श्री मिश्रीलाल आयु 62 वर्ष, जाति मैना, व्यवसाय – कृषि, निवासी ग्राम मुडरी तहसील त्योदा जिला विदिशा म.प्र.

.... **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र रामदयाल, जाति मैना, निवासी – ग्राम मुडरी तहसील त्योदा जिला विदिशा म.प्र.
2. रामस्वरूप पुत्र मिश्रीलाल जाति मैना, आयु – 50 वर्ष, निवासी ग्राम मुडरी तहसील त्योदा जिला विदिशा म.प्र
3. रामकृष्ण पुत्र श्री कीरत सिंह जाति मैना, आयु 26 वर्ष, निवासी – ग्राम देलवाडा तहसील त्योदा जिला विदिशा म.प्र.

.... **अनावेदकगण**

श्री ...... द्वारा आज दि. 26-7-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-8-18 नियत। 26-7-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.11.2017 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्र. 50/अपील 2017-18 रघुवीर सिंह बनाम हरी सिंह जिसके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4696/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	